भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2945
(मंगलवार, 19 अगस्त, 2025/28 श्रावण, 1947(शक) को उत्तर के लिए)

'निवेशक दीदी' पहल

2945 श्री अमर पाल मौर्यः
श्रीमती संगीता यादवः
श्रीमती किरण चौधरीः
श्री मयंककुमार नायकः
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
श्री मदन राठौड़:
श्री नरहरी अमीनः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण (फेज 2) का ब्यौरा क्या है, जिसमें आयोजित किए जाने वाले शिविरों की संख्या और लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच से संबंधित जानकारी शामिल है;
(ख) शिविरों के आयोजन हेतु निर्धारित समय-सीमा और कार्यक्रम का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता में सुधार को मापने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया/तंत्र क्या हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): निवेशक दीदी चरण 2 में सभी राज्यों में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को लक्षित करते हुए 2 वर्षों की अवधि में 4000 वित्तीय साक्षरता शिविरों की परिकल्पना की गई है। पहल का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और जागरूकता प्रदान करना है।

(ग): वित्तीय साक्षरता में सुधार को मापने के लिए, शिविरों के समापन के बाद एक प्रभाव मूल्यांकन आयोजित किया जाता है। यह मूल्यांकन भागीदारी से पहले और बाद में लाभार्थियों के बीच वित्तीय जागरूकता के स्तर की तुलना करता है, जिससे पहल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन होता है।
